न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 332/2020 दायर दिनाँक 30.12.2020

वादी		प्रतिवादीगण
1. जालाराम पुत्र कानाराम जाति निवासी आकोदा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:–

1. श्री ओमप्रकाश पूनियां वकील वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 16.08.2021

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि यह है कि मौजा आकोदा पटवार हल्का आकोदा की सहरद में खेत खसरा सं0 133 रकबा 0.02 हैक्ट., खसरा सं0 134 रकबा 0.07 हैक्ट., खसरा सं0 135/657 रकबा 5.98 हैक्ट., खसरा सं0 139 रकबा 0.30 हैक्टर व खसरा सं0 140 रकबा 0.79 हैक्ट. कुल रकबा 7.16 हैक्ट. वादी के कब्जे काश्त व बन्ट की है।

यह है कि वादी के खातेदारी में मौजा आकोदा की सहरद के खेत खसरा सं0 139 रकबा 01.09 हैक्ट., बन्ट में आया हुआ था और उक्त 139 रबा 1.09 हैक्ट. खेत खसरा सं0 135/657 रकबा 5.98 हैक्ट. का ही हिस्सा था मगर वादी के नजरी नक्शे में मार्क ए, से बी डामर सड़क राज्य सरकार द्वारा खेत खसरा सं0 135/657 में से निकालने से उक्त खसरा सं0 139 डामर सड़क के दुसरी तरफ की शेष जमीन का बना है। और जो जमीन सड़क में गई उसका रकबा राजस्थान सरकार के रकबे में दर्ज हो गया। मगर राजस्व कर्मचारियों की गफलत व गलती से वादी के नजरी नक्शे में मार्क ए से बी डामर सड़क रहते हुए भी दुबारा वादी के नजरी नक्शे में मार्क सी. से डी. खेत खसरा सं0 139 रकबा 1.09 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि में से नया और रकबा काट कर मूल खसरा सं0 139 का रकबा 0.30 हैक्टर रख दिया और 0.79 हैक्टर जमीन के खसरा सं0 140 डामर सड़क गलत दर्ज कर दिया, जबकि मौके पर नजरी नक्शे में मार्क ए. से बी सड़क के अलावा वादी के नजरी नक्शे में मार्क सी. से डी. खेत खसरा सं0 140 रकबा 0.79 हैक्टर भूमि में कोई डामर सड़क नही बहती है। वादी अपने नाम राजस्व कर्मचारीयों द्वारा गलत इन्द्राज खेत खसरा सं0 139 में से नये खसरा सं0 140 रकबा 0.79 हैक्टर भूमि जिसको वादी ने अपने नजरी नक्शा में मार्क सी. से डी. दर्शाये गये भूमि को अपने नाम घोषणा कराना चाहता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:16:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना वादी इस प्रकार है –

कि वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे तथा वाके सरहद आकोदा के खेत खसरा सं0 140 रकबा 0.79 हैक्टर भूमि को वादी के नजरी नक्शा में मार्क सी. से डी. दर्शाये गये भूमि को राजस्व कर्मचारियों की गफलत व गलती से दर्ज डामर सड़क जिसको नजरी नक्शे में मार्क सी. से डी. दर्शित किया गया को हटाये जाने की घोषणा की जाकर खेत खसरा सं0 140 रकबा 0.79 हैक्ट. भूमि को वादी की खातेदारी की घोषित फरमाई जावें।

यह है कि वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया। वादी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए उक्त सरहद आकोदा के खेत खसरा सं0 140 रकबा 0.79 हैक्टर भूमि को वादी के नजरी नक्शा में डामर सड़क जिसको नजरी नक्शे में मार्क सी. से डी. दर्शित किया गया को हटाये जाने की घोषणा की जाकर खेत खसरा सं0 140 रकबा 0.79 हैक्ट. भूमि को वादी की खातेदारी की घोषित किया जाना उचित प्रतित होता है।

रेकर्ड का अवलोकन किया। तर्को पर मनन करने तथा रेकर्ड के अवलोकनोपरान्त वादी का वाद स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः हस्व दावा वाके सरहद आकोदा के खेत खसरा सं0 140 रकबा 0.79 हैक्टर भूमि को वादी के नजरी नक्शा में डामर सड़क जिसको नजरी नक्शे में मार्क सी. से डी. दर्शित किया गया को हटाये जाने की घोषणा की जाती है। तथा खेत खसरा सं0 140 रकबा 0.79 हैक्ट. भूमि को वादी की खातेदारी की घोषित की जाती है। नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **16.08..2021** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:16:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **332/2020** दायर दिनाँक **30.12.2020**

वादी		प्रतिवादीगण
1. जालाराम पुत्र कानाराम जाति निवासी आकोदा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती एवं रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक **16.08.2021**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री ओमप्रकाश पूनियां वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा वाके सरहद आकोदा के खेत खसरा सं0 140 रकबा 0.79 हैक्टर भूमि को वादी के नजरी नक्शा में डामर सड़क जिसको नजरी नक्शे में मार्क सी. से डी. दर्शित किया गया को हटाये जाने की घोषणा की जाती है। तथा खेत खसरा सं0 140 रकबा 0.79 हैक्ट. भूमि के वादी की खातेदारी की घोषित की जाती है। नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–.....................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **16.08.2021** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:16:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner